मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारियों का SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के तहत कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन के संबंध में Video Conferencing के माध्यम से दिनांक–24.03.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित बैठक की कार्यवाही।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारियों का SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window) System के तहत कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन के संबंध में Video Conferencing के माध्यम से दिनांक–24.03.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे बैठक आहूत की गई।

(2) (i) समीक्षा बैठक के प्रारंभ में अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा SPARROW System के तहत कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन के संबंध में अबतक हुई प्रगति एवं लंबित मामलों की स्थिति से मुख्य सचिव, बिहार को अवगत कराया गया।

(ii) अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि निगरानी विभाग एवं गृह विभाग का संशोधित PAR प्रपत्र तैयार करने हेतु NIC के स्तर पर लंबित है –

(1) निगरानी विभाग –	(क) बिहार पुलिस सेवा (ख) पुलिस अवर निरीक्षक (निगरानी)
(2) गृह विभाग –	पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक/ सहायक पुलिस अवर निरीक्षक

समीक्षा के दौरान NIC के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि निगरानी एवं गृह विभाग के पदाधिकारियों के लिए संशोधित PAR प्रपत्र तैयार किया जा रहा है।

(3) मुख्य सचिव, बिहार द्वारा समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि :–

(i) सभी विभाग द्वारा SPARROW System के तहत e-PAR आलेखन की आन्तरिक समीक्षा की जाय।

(ii) SPARROW System के तहत ग्रुप–A एवं ग्रुप–B श्रेणी के पदाधिकारियों/कर्मियों के वर्ष 2023–24 के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन का Online आलेखन निश्चित रूप से दिनांक–31.03.2025 तक सम्पन्न किया जाय।

(iii) SPARROW System के तहत ग्रुप–A एवं ग्रुप–B श्रेणी के पदाधिकारियों/कर्मियों के वर्ष 2024–25 के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन का Online आलेखन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–8160 दिनांक–22.05.2024 के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाय।

ह0/–
(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–सी0आर0को0–110/2022–सा0प्र0 5705/पटना, दिनांक– 28.3.25

प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष (संसदीय कार्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, विधि विभाग एवं खेल विभाग को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।

28.03.2025
सरकार के अवर सचिव